**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 478**

**16 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए**

**इस्पात उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ**

**478. श्री रिपुन बोरा:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार पाँच वर्षों में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश में इस्पात उद्योग कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है;

(ख) क्या देश की वित्तीय मंदी के कारण इस्पात की खपत काफी कम हो गई है;

(ग) क्या लौह अयस्क की लगभग 38 कार्यरत खदानों के खनन पट्टे जल्द ही समाप्त होने वाले हैं और सेल को अपने खनिज उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने की अनुमति दी गई है जिससे देश की इस्पात स्थिति सुधर सकती है; और

(घ) सरकार की भारत में इस्पात क्षेत्र में विनिवेश करने और सेल की सहायक कंपनियों के आधुनिकीकरण और विस्तारण की क्या योजना है?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): राष्ट्रीय इस्पात नीति में वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्रूड इस्पात का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार है:

(i) सरकारी एजेंसियों द्वारा मेड इन इंडिया इस्पात की खरीद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादन नीति।

(ii) स्वदेशी रूप से तैयार होने वाले स्क्रैप की उपलब्धता को बढाने के लिए इस्पात स्क्रैप नीति।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात आयात एवं विनिर्माण को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना। अभी तक 113 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) मूल्यवर्धित इस्पात, सहायक उत्पादों, पूँजीगत सामानों आदि के लिए विनिर्माण इकाइयों वाले इस्पात कलस्टरों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मसौदा रूपरेखा नीति।

(vi) इस्पात क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय ने अवधि समाप्त हो रही लौह अयस्क खदानों की नीलामी और उन्हें पुनः प्रारंभ करने, इस्पात सीपीएसई के लिए खनन पट्टे के विस्तार, सीआईएल/बीसीसीएल द्वारा कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना करने, कोकिंग कोयला खदानों की नीलामी/आवंटन तथा कोकिंग कोयला के आयातों के विविधिकरण आदि के लिए खान मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया है।

(ख): अप्रैल-जुलाई 2020 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में तैयार इस्पात की खपत निम्नानुसार है:

| **माह** | **कुल तैयार इस्पात (नॉन-अलॉय+अलॉय/स्टेनलेस) खपत हजार टन में** | |
|---|---|---|
| | **वर्ष 2019** | **वर्ष 2020** |
| अप्रैल | 7333 | 1092 |
| मई | 8850 | 4720 |
| जून | 8589 | 6234 |
| जुलाई | 8573 | 7405 |

(ग): 6 लौह अयस्क खदानों के पट्टे 2021 में समाप्त हो जाएंगे। खान मंत्रालय ने दिनांक 16.09.2019 के अपने आदेश के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को दो वर्षों की अवधि तक पिछले वर्ष के उत्पादन की 25% सीमा तक फ्रेश आयरन ओर फाइंस के साथ-साथ इसकी अपनी कैप्टिव खदानों से 70 मिलियन टन डंप आयरन ओर फाइंस की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है।

(घ): भारत में इस्पात क्षेत्र के विनिवेश के संबंध में सरकार की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। सरकार अल्प हिस्सेदारी की बिक्री तथा रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश की नीति का अनुसरण कर रही है। वर्तमान में सेल की अपनी सहायक कंपनियों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की कोई योजना नहीं है।

****